



अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	संस्था का परिचय	03
2.	वी.बी.आर.आई स्टार्स	06
3.	प्रवेश कार्यक्रम सत्र 2025-26	08
4.	नई शिक्षा निति 2020	11
5.	संचालित पाठ्यक्रम	
	(i) बी.ए.	14
	(ii) बी.कॉम	15
	(iii) बी.एससी. (गणित, जीव विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान)	16
	(iv) बी.सी.ए.	17
	(v) एम.ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र)	19
	(vi) एम.एससी.(रसायन विज्ञान, गणित)	19
	(vii) विद्यावाचस्पति	21
	(viii) बी.बी.ए.	22
6.	महाविद्यालय समितियां	25
7.	प्रवेश नियम एवं प्रक्रियां	26
8.	विद्यार्थी आचार संहिता एवं नियम	32
9.	पुस्तकालय हेतु आचार संहिता	34
10.	गणवेश	35
11.	विद्यार्थियों के लिए विभिन्न सुविधाएँ एवं सह शैक्षणिक गतिविधियाँ	36
12.	संस्था में संचालित इग्नू अध्ययन केन्द्र (IGNOU SC 2302)	39
13.	सत्र की गतिविधियां एवं अवकाश	40
14.	शुल्क का विवरण (Fee Details)	42
15.	संकाय सदस्य एवं ऑफिस स्टॉफ	47
16.	सहशैक्षणिक गतिविधियाँ	50
17.	सांस्कृतिक गतिविधियाँ	51



VISION

“EMPOWERING RURAL YOUTH THROUGH QUALITY EDUCATION”

MISSION

- To make efforts to impart quality and value based education to rural and tribal youth and to train the students to face challenges in current competitive global market.
- To provide an environment for development of overall personality of the students.
- To expand horizon to build a better society.

महाविद्यालय की प्रमुख विशेषताएँ

- ★ निरन्तर श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम।
- ★ समृद्ध पुस्कालय।
- ★ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति एवं अन्य प्रकार की छात्रवृत्तियाँ।
- ★ नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ।
- ★ सह-शिक्षा।
- ★ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम में शिक्षा व्यवस्था।
- ★ खेल के विशाल मैदान एवं खेलकूद की उत्तम श्रेणी की सुविधाएँ।
- ★ उच्च शिक्षित संकाय सदस्य।
- ★ विशाल एवं प्रदूषण मुक्त सुन्दर परिसर।
- ★ रोजगार एवं उच्च शिक्षा सम्बन्धी परामर्श एवं मार्गदर्शन।
- ★ रोजगार हेतु कैम्पस साक्षात्कार।
- ★ प्रथम वर्ष के समस्त नियमित विद्यार्थियों हेतु कौशल विकास में प्रमाण पत्र (पाठयक्रम बिना अतिरिक्त शुल्क)



विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट, उदयपुर

संस्था का परिचय

विद्या भवन देश के शिक्षा जगत की एक प्रतिष्ठित संस्था है। इसकी स्थापना सन् 1931 में उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में हुई। संस्था का उद्देश्य था, पारम्परिक शिक्षा के स्थान पर शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयोग कर समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसे नागरिक तैयार करना जो एक नये समाज तथा राष्ट्र का निर्माण कर सकें।

संस्था इस लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रही एवं अनवरत विकास करने लगी। विद्या भवन ने शिक्षा जगत में अपनी अमूल्य सेवाएँ प्रदान की हैं। इसने परम्परागत शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ कई नवीन और मौलिक प्रयोग किये। वनशाला, सहशिक्षा, सबके लिए शिक्षा और बुनियादी शिक्षा जैसे प्रयोगों से विद्या भवन ने अपनी स्थापना के साथ ही पूरे भारत में अपनी अलग पहचान बनाई। विद्या भवन केवल पुस्तकीय ज्ञान को महत्त्व नहीं देता, अपितु शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करता है जो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझे और उनका निर्वाह करते हुए समाज तथा राष्ट्र की सेवा कर सके।

अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निरन्तर प्रयास करते हुए तथा अपनी स्थापना से अब तक के 94 वर्षों के गौरवमय इतिहास रचते हुए विद्या भवन ने अपनी यात्रा में सीनियर सैकण्डरी स्कूल के साथ-साथ विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट, बी.एड. कॉलेज, पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, बुनियादी विद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा शिक्षा केन्द्र जैसी अनेक संघटक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की है।

विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट का परिचय

विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट इस समूचे परिवार का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी स्थापना भारत सरकार की उच्चतर ग्रामीण शिक्षा योजना के अन्तर्गत 1956 में हुई। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे स्नातक तैयार करने पर बल दिया गया जो हमारे ग्रामीणों की समस्याओं के प्रति पूर्णतः जागरूक हों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सम्यक विकास हेतु कार्य कर सकें। इस हेतु एक समन्वित पद्धति अपनाई गई, जिसमें शिक्षा, प्रसार तथा शोध को एक साथ सम्मिलित किया गया।



विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट ने अपनी स्थापना से अब तक समय के साथ चलते हुए समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप अपना विकास किया और इस इतिहास में हजारों देशी-विदेशी विद्यार्थियों को शिक्षित कर राष्ट्रीय स्तर अपनी पहचान बनाई है। आज यह एक बहुसंकायी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट, उदयपुर विकसित हो चुका है।

महाविद्यालय में लम्बे समय से बी.ए., एम.ए. (ग्रामीण समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान), बी.एससी. (जीव विज्ञान), तथा बी.एससी. (गणित) जैसे पाठ्यक्रम चल रहे थे लेकिन महाविद्यालय ने समाज और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पिछले दशकों में अनेक नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये है। सन् 1995 में यहाँ कम्प्यूटर शिक्षा में बी.एससी. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। सन् 1996 में यहाँ बी.बी.एम. जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। राजस्थान में बी.बी.एम. प्रारम्भ करने वाला यह प्रथम महाविद्यालय है। यह पाठ्यक्रम वर्तमान में बी.बी.ए. के नाम से संचालित किया जा रहा है। इसके साथ सन् 2002 में कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ की गई। सन् 2002 में ही एनालिटिकल केमेस्ट्री में एम.एससी. तथा सन् 2004 में गणित में एम.एससी. की कक्षाएँ प्रारम्भ की गई। सन् 2004 में स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय प्रारम्भ किया गया। सन् 2005 में ऑग्रेनिक केमेस्ट्री में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ की गई। सन् 2006 में बी.कॉम 2007 बी.सी.ए. 2011 में एम.कॉम. (ए.बी.एस.टी.) का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया था।

यही नहीं, नियमित शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस महाविद्यालय में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाला अध्ययन केन्द्र भी स्थापित किया गया है, जिनमें लगभग 80 से अधिक पाठ्यक्रमों में पत्राचार द्वारा शिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है। संस्था में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थी अध्ययनरत है। नियमित शिक्षण के अतिरिक्त यहाँ इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करते हुए अपने क्षेत्र, समाज और राष्ट्र की समस्याओं को समझे तथा इनके समाधान की दिशा में समुचित कार्य करने में सक्षम हों।

महाविद्यालय में पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, व्यायामशाला तथा क्रीड़ा मैदानों की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध है। संस्थान में दो कम्प्यूटर प्रयोगशालाएँ एवं एक अंग्रेजी भाषायी प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। महाविद्यालय के लिए यह गौरव का विषय है कि हजारों विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर देश-विदेश में अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय दे रहे है। संस्थान से अब तक हजारों अफ्रीकी-एशियाई विद्यार्थियों ने भी सफलतापूर्वक अपनी शिक्षा पूरी की है।



सन्देश

प्रिय विद्यार्थियों,

अकादमिक सत्र 2025-26 में आपका हार्दिक अभिनन्दन। विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट में अध्ययन का आपका निर्णय स्वागत योग्य है। यह महाविद्यालय विगत 69 से अधिक वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक तरफ कई चुनौतियाँ सामने आई हैं, वहीं दूसरी ओर विकास के कई नये अवसर भी प्राप्त हुए हैं। तकनीकी क्रान्ति ने शिक्षा के स्वरूप को ही बदल दिया है। एक बार पुनः विद्यार्थियों का रूझान विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विषयों की तरफ बढ़ा है। रूरल इंस्टीट्यूट सभी संकायों में स्नातक पाठयक्रमों के साथ कुछ चुने हुए विषयों में स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. जैसे व्यवसायिक पाठयक्रम भी उपलब्ध है। इस तरह पिछले वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के एक केन्द्र के रूप में रूरल इंस्टीट्यूट ने एक पहचान स्थापित की है।

हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्रतियोगिता पूर्ण इस दुनिया में विशिष्ट होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए यह महाविद्यालय आपके अध्ययन के लिए अच्छे वातावरण, आधारभूत सुविधाओं तथा उच्च शिक्षित अध्यापकों से अध्यापन के लिए प्रतिबद्ध है।

आप जीवन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें और राष्ट्र व समाज के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका सफलतापूर्वक निर्वहन करें, इन्ही शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत।

(डॉ. तेजप्रकाश शर्मा)
निदेशक



VBRI STARS



2nd Position in MLSU (Sports)



SPORTS STAR MLSU 2024-25



Dhan Singh Bhagel
Kick Boxing, Gold Medal



Nikhil Jalora
Kick Boxing, Silver Medal



Bhavna Shahu
Kick Boxing, Silver Medal



Mohit Dangi
Best Player, Volleyball



Neelam Dangi
Power Lifting, Silver Medal

ACADEMIC TOPPERS IN MLSU 2024-25



Harsal Soni
BBA



Nikita Lohar
B.Com



Dhanesh Veshnav
BCA



Rahul Kushvaha
B.Sc.-Comp. Sc.-



Shivani Paliwal
BA



Rohan Joshi
B.Sc.-Bio



Chandani Chouhan
B.Sc.-Maths



Neha Menariya
M.Sc.- Chemistry



Harsh Melka
M.A.-Pol. Sc.



CONGRATULATION VBRI, STUDENTS FOR PLACEMENT 2024-25



Ritick Kumar Mali
Select for PI Industry



Manshi Nagda
Select for Sun Pharmaceutica, Gurjrat



Neha Menariya
Select for PI Industry





अन्य गतिविधियां



NSS Seven Day Camp 2024-25



Pratibha Samman Samaroh 2024-25



I.K.S. & I.Q.A.C.



Expert Lecture



Deepawali Celebration 2024-25



Poster Competition (Chemistry)



Model Making Competition (Maths)



Womens Day Celebration 2024-25



NSS Blood Donation Camp



Institution Innovation



प्रवेश कार्यक्रम सत्र (2025-26)

(अ) स्नातक स्तर पर प्रथम प्रवेश

1. आवेदन पत्र का विक्रय प्रारम्भ
2. आवेदन पत्र जमा होने की अन्तिम तिथि
3. अन्तरिम प्रवेश सूची का प्रकाशन एवं
मूल प्रमाण पत्रों की प्रवेश समिति द्वारा जाँच
4. अन्तरिम प्रवेश सूची के अन्तर्गत प्रविष्ट
विद्यार्थियों द्वारा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि
5. प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची एवं रिक्त स्थानों
के लिए द्वितीय सूची का प्रकाशन निर्देशानुसार
6. द्वितीय सूची के विद्यार्थियों का शुल्क जमा
कराने की अन्तिम तिथि
7. शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ
8. शिक्षण कार्य प्रारम्भ
9. संकाय/विषय परिवर्तन की अंतिम तिथि
10. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि

राज्य सरकार के
निर्देशानुसार

नोट:-

(ब) स्नातकोत्तर (पूर्वाद्ध) स्तर पर प्रथम प्रवेश

1. आवेदन पत्र का विक्रय प्रारम्भ
2. आवेदन पत्र जमा होने की अन्तिम तिथि
3. प्रवेश सूची का प्रकाशन
4. प्रवेश सूची के अन्तर्गत प्रविष्ट विद्यार्थियों
द्वारा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि
5. प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन
6. शिक्षण कार्य प्रारम्भ

राज्य सरकार के
निर्देशानुसार



(स) स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीनीकरण

सभी संकायों के स्नातक पार्ट द्वितीय (III & IV सेमेस्टर) एवं तृतीय (V & VI सेमेस्टर) तथा स्नातकोत्तर (III & IV सेमेस्टर उत्तरार्द्ध) प्रवेश के लिए सत्र 2025-26 में महाविद्यालय का नियमित अथवा पूर्व विद्यार्थी (एक्स स्टूडेंट) होना या विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा में प्रवेश योग्य घोषित करना ही पर्याप्त है। बशर्ते उसका व्यवहार व चरित्र संतोषजनक रहा हो।

नोट:-

1. सभी संकायों के स्नातक पार्ट द्वितीय (III & IV सेमेस्टर) एवं तृतीय (V & VI सेमेस्टर) तथा स्नातकोत्तर (I & II सेमेस्टर उत्तरार्द्ध) की कक्षाओं में राज्य सरकार के निर्देशानुसार तय तिथि तक बिना अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित हुए विद्यार्थियों को अस्थाई प्रवेश दे दिया जायेगा तथा निर्धारित दिनांक से नियमित अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति नियमित रूप से उपस्थिति पंजिका में अंकित की जायेगी तथा उसी तिथि से उपस्थिति की गणना की जायेगी।
2. सभी प्रवेश योग्य विद्यार्थियों को निर्धारित अंतिम दिनांक से पूर्व महाविद्यालय कार्य दिवसों में वांछित शुल्क महाविद्यालय लेखाशाखा कार्यालय में एक अण्डर टेकिंग के साथ जमा करवाना होगा। अण्डर टेकिंग का प्रपत्र महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। अर्हकारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन पश्चात प्रवेश शुल्क स्वीकार नहीं होगा। अर्हकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश योग्य घोषित नहीं किया जाता तथा उनका अस्थाई प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा तथा उनके द्वारा जमा कराया गया शुल्क नियमानुसार पुनः लौटा दिया जायेगा।

नोट :-

1. अंतरिम प्रवेश सूची में नामांकित अभ्यर्थियों द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि (नोटिफाईड डेट) तक शुल्क जमा नहीं कराने पर ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
2. समस्त प्रवेश योग्य अभ्यर्थियों के प्रविष्ट होने के उपरांत एवं प्रवेश हेतु और कोई भी फार्म उपलब्ध न होने के उपरान्त यदि किसी कक्षा/वर्ग में प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रह जाये, तो प्राचार्य द्वारा इस प्रकार से उपलब्ध रिक्त स्थानों की समाचार पत्रों में विज्ञापित दी जायेगी एवं इसकी प्रति महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर इन स्थानों पर प्रवेश के लिए नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। सूचनापट्ट पर प्रदर्शित की जाने वाली इस सूचना में रिक्त स्थानों की संख्या जिस कक्षा/वर्ग में यह स्थान रिक्त है, तथा नवीन



आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा। यदि इन रिक्त स्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर छोड़कर)/विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित स्थान भी उपलब्ध हो तो उनका विवरण भी अंकित किया जायेगा। यदि बिन्दु संख्या (1) में उल्लेखित अभ्यर्थी भी प्रवेश लेना चाहे तो उन्हें उपर्युक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनः प्रवेश आवेदन पत्र भरना होगा। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त समस्त नये आवेदन पत्रों में से योग्य अभ्यर्थियों को कक्षा/वर्ग में उपलब्ध स्थानों पर वरियता क्रम के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर छोड़कर)/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके लिए आवांति नियतांश कोटा पूरा न होने की स्थिति में प्रवेश नीति के अनुसार अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

3. निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के निर्देशानुसार ऐसे पूरक परीक्षा योग्य घोषित विद्यार्थी जिन्होंने महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, उनके पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर उनका उक्त नियमित प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। उसे कोई शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।

**“जितना अध्ययन करते हैं
उतना ही हमें अपने अज्ञान
का आभास होता है।”**



New Education Policy 2020

नई शिक्षा नीति 2020

Introduction:

NEP 2020, or the National Education Policy 2020, is a comprehensive policy introduced by the Government of India to transform the education system in the country. It aims to bring about significant changes in various aspects of education, from school to higher education.

The framework of the NEP credit system:

The coursewise credit requirement of the three years UG and two Years PG programs.					
S. No.	Broad Category Of Courses		Minimum Credit Requirement		
			3 Year UG		2 Year UG
1.	Discipline Centric Core (DCC)	Subject 1	24	72	56
		Subject 2	24		
		Subject 3	24		
2.	Discipline Specific Elective (DSE)	a. DSE –	36		40
		b. GEC –			
		c. DPR –			
		d. IOJ –			
		e. CEC –			
3.	Ability Enhancement Compulsory (AEC)	Special type of Courses	04		Not necessary
4.	Skill Enhancement Course (SEC)		08		
5.	Value Added Course Common for all UG (VAC)		-		
Total			120	96	
GEC-Generic Elective Course; DPR - Dissertation, Project, Report of Field Study; IOJ Internship or on Job Experience; CEC Community Engagement Course					

Salient Features of NEP-2020

- **Multidisciplinary Approach:** NEP-2020 promotes a multidisciplinary approach to education, encouraging students to choose subjects across different disciplines and bridging the gap between arts, sciences, and humanities.
- **Reduction in Content Overload:** NEP-2020 emphasizes reducing the content overload in the curriculum to focus on core concepts and critical thinking rather than rote memorization.



- **Skill Development and Vocational Education:** NEP-2020 places significant importance on skill development and vocational education, aiming to provide students with practical skills and promote entrepreneurship.
- **Assessment Reforms:-** NEP-2020 advocates for a shift in assessment methods, aiming to move away from high-stakes examinations and focus on a more comprehensive and holistic assessment of student understanding and skills.
- **Inclusion and Equity:-** NEP-2020 emphasizes inclusion and equity in education, aiming to address gender and social disparities, provide equal opportunities for marginalized communities, and promote inclusive education for students with disabilities.
- **Research and Innovation:-** NEP-2020 recognizes the importance of research and innovation in education, encouraging the establishment of research centers and promoting a culture of research among students and teachers.
- **Internationalization:-** NEP-2020 recognizes the significance of internationalization in education. It encourages collaborations and exchange programs between Indian and foreign institutions, promoting global exposure and cross-cultural learning.

Structural framework of the three years B.A./B.Com./B.Sc./BCA Program under NEP-2020

The tables on next page contain the planned quantum of courses that will be offered under the Arts, Science, and Commerce programs. The total credit that a student will collect in each semester is 20. A student is free to exit at the end of each academic year as depicted in the table.



Structural framework of the three years B.A./B.Com./B.Sc./BCA Program under NEP-2020

	I year		UG Certificate		II Year		UG Diploma		III Year		UG Degree
	SEM-1	SEM-II	SEM-III	SEM-IV	SEM-V	SEM-VI					
Core Courses	DCC-A1 (6Cr) DCC-B1 (6Cr) DCC-C1 (6Cr)	DCC-A2 (6Cr) DCC-B2 (6Cr) DCC-C2 (6Cr)	Student who opt to exit after completion of the 1 st year securing 40 credits will be awarded a UG certificate if, in addition, he acquires 4 exit credits from SEC course from any recognized institute.	DCC-A3 (6Cr) DCC-B3 (6Cr) DCC-C3 (6Cr)	DCC-A4 (6Cr) DCC-B4 (6Cr) DCC-C4 (6Cr)	Student who opt to exit after completion of the II year securing 80 credits will be awarded a UG Diploma.	-	-	-	-	Students securing 120 credits and satisfying the minimum credit requirement to exit after completion of the III year securing 120 credits will be awarded a UG Degree.
DSE/GEC	-	-					DSE-A1 (6Cr) DSE-B1 (6Cr) DSE-C1 (6Cr)				
AECC	AECC-1 (2Cr) Gen Hindi	AECC-2 (2Cr) Gen English									
SEC	-	-					SEC-1(2Cr) (Communicative English)	SEC-2(2Cr)	SEC-3(2Cr)	SEC-4(2Cr)	
	18+0+2+0 =20	18+0+2+0 =20		18+0+0+2 =20	18+0+0+2 =20		0+18+2+0 =20	0+18+0+2 =20	0+18+0+2 =20	0+18+0+2 =20	
Cumulative minimum credit required for certificate /Diploma /Degree	40 (+4 exit SEC)		80	80		120					
72 (DCC) + 36 (DSE/GEC)+4 (AECC) +8 (SEC) = 120											

Notes:

1. Discipline A# / Subject A#, Discipline B# / Subject B# and Discipline C# / Subject C#, all three cannot be from the same discipline/Subject. In B.A. a student cannot take all three subjects from languages.
2. Courses with Practical component: Theory (4 credits) + Practical (2 credits) = 6 credits
3. Non-practical Courses: Theory (5 credits) + Tutorial (1 credit) = 6 credits (Numbers shown in brackets indicate Credits).



महाविद्यालय द्वारा संचालित नियमित पाठ्यक्रम

कला संकाय कला स्नातक (बी.ए)

सन् 1964 से महाविद्यालय में कला संकाय के अन्तर्गत मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। विगत वर्षों में कई नवीन विषयों में अध्ययन प्रारम्भ हुआ है। अकादमिक अभिरूची की संतुष्टि हेतु, अध्यापन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कैरियर हेतु अथवा प्रशासनिक एवं अन्य सरकारी सेवाओं में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए बी.ए. की उपाधि अच्छा पाठ्यक्रम है।

प्रवेश योग्यता : 10+2 (कला/विज्ञान/वाणिज्य) उत्तीर्ण विद्यार्थी जिन्होंने न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश योग्य है।

आरक्षण : अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार।

वैकल्पिक विषय : निम्नलिखित समूहों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन किया जायेगा तथा एक समूह में एक से अधिक नहीं लिया जा सकेगा।

समूह -1	इतिहास
समूह -2	राजनीति विज्ञान/अर्थशास्त्र/संस्कृत
समूह -3	भूगोल/अंग्रेजी साहित्य/समाज शास्त्र
समूह -4	हिन्दी साहित्य/लोक प्रशासन/ग्रामीण विकास एवं विस्तार

टिप्पणी :

(क) प्रायोगिक विषय दो से अधिक नहीं लिये जा सकेंगे।

(ख) साहित्य विषय दो से अधिक नहीं लिये जा सकेंगे।

तृतीय वर्ष Ex-Student के सत्र 2025-26 के लिए पुरानी शिक्षा प्रद्वति लागू होगी।



वाणिज्य एवं प्रबंध संकाय वाणिज्य स्नातक (बी.कॉम.)

- प्रवेश योग्यता** : 10+2 (कला/विज्ञान/वाणिज्य) उत्तीर्ण विद्यार्थी जिन्होंने न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश योग्य हैं।
- आरक्षण** : अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार।

Courses offered : B.Com.

COMBINATIONS OFFERED IN B.COM (UNDER NEP-2020)

Combination	Subject - A#	Subject - B#	Subject - C#
Commerce group	BADM	ABST	BBE

Note - Accountant training will be given to selected B.Com. students. The term & conditions and it's special features are mentioned below :

Special Feature: Internship in Accountant Training for B.Com. Students.

Training period: 4 months

Training Starts : With the commencement of new academic session & after the result declaration of VI Semester.

Selection Criteria: Faculty of Commerce & Management will select 5 students on the basis of different criteria like performance, regularity, results etc. Minimum 55 % in aggregate results of B.Com. is mandatory.

Benefits: -

- Opportunity of skill education for the students.
- Develop interest in students towards accountancy.
- Students will be able to meet the demand of industry in career of Accountancy.
- Students will get certificate.

तृतीय वर्ष Ex-Student के सत्र 2025-26 के लिए पुरानी शिक्षा प्रद्वति लागू होगी।



विज्ञान संकाय विज्ञान स्नातक (बी.एससी.)

सन् 1968 से महाविद्यालय में विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर गणित एवं जीव विज्ञान समूह में अध्यापन हो रहा है। वर्ष 1995 से कम्प्यूटर विज्ञान में बी.एससी. पाठ्यक्रम का अध्ययन भी हो रहा है। 2007 से महाविद्यालय में बी.सी.ए. पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं कम्प्यूटर विज्ञान की सुसज्जित प्रयोगशालाएँ हैं। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने निरन्तर श्रेष्ठ परिणाम दिये हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं, अध्यापन, अनुसंधान के क्षेत्र में सफलता हेतु बी.एससी. पाठ्यक्रम एक बेहतर विकल्प है। वर्तमान में बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों की भर्ती नीतियों में बदलाव आया है। वे अब विज्ञान स्नातक को रोजगार में प्राथमिकता दे रही हैं।

योग्यता : सीनियर सैकेडणरी (10+2) विज्ञान में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी उपर्युक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं।

आरक्षण : अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार।

COURSES OFFERED: B.SC.

COMBINATIONS OFFERED IN BSC (UNDER NEP-2020)

Combination	Subject - A#	Subject - B#	Subject - C#
BIO GROUP	BOTANY	ZOOLOGY	CHEMISTRY
MATHS GROUP	PHYSICS	MATHS	CHEMISTRY
COMP. SC GROUP	PHYSICS	MATHS	COMPUTER SCIENCE

तृतीय वर्ष Ex-Student के सत्र 2025-26 के लिए पुरानी शिक्षा प्रद्वति लागू होगी।



BCA (Bachelor of Computer Application)

Bachelor of Computer Application (BCA) is an undergraduate degree course in computer applications for duration of 3 years. With the rapid growth of IT industry in the world, the demand of computer professionals is increasing day by day.

BCA is one of the popular courses among students who want to make their career in IT field. This course comprises of the subjects like database, networking, data structures, core programming like 'C', C#, 'Java', 'Python' etc.

There is a huge scope in the field of BCA. One can do job or can go for higher studies after completion of the course. Self employment option is also available. One can do freelancing or develop own software if have that much skills. There are many software MNCs (Multi National Companies) which provide jobs to the BCA graduates.

If candidate got work experience and has all the necessary required skills then can hold good positions in MNCs. While BCA gives students a good technology knowledge, they are advised to complete MCA to give themselves career wise push. In this age of computers and every thing digitized, knowledge about machines is very important. It gives the person a distinct advantage over the others.

Eligibility Criteria

The candidate should have passed 10+2 examination with at least 50% marks in aggregate (pass marks in case of SC/ST and OBC candidates) in any stream.

Duration of the Course: The BCA course is of three years (6 Semesters) duration. Each year is approximately of 40 credits as per MLSU BCA NEP Syllabus

Medium of instruction: The medium of instruction and examination is English.

Objectives:

- Providing an in-depth understanding and experience with computer systems.
- Developing creative and analytical skills that provide a basis for technological problem solving.
- Equipping students to handle multi-tasking situations.



- BCA is catering to the need of students aspiring to excel in the field of computers. It was started in 2007-08 session as an interdisciplinary programme. In this programme, besides computer, a student gets diversified knowledge on Accounting and Financial Management and Personality Development Communication Skills etc. The course provides a sound academic base from which an advance career in Computer Application can be developed. These graduates can start their career as a Junior Programmer and get promoted to the post of Senior Programmers & Project Managers in the IT Sector.

Future Prospects

Students have a bright future in the Computer and IT field; they could take up jobs as Programmers and grow to become project managers. A post graduation in the relevant field is always preferred.

These undergraduate courses are the pre-qualification for professionals heading for smart career in the IT field, which measures upto international standards. After completing these programmes one can do higher studies such as MCA, MBA etc., in any of the UGC recognized universities or in any other reputed institution in India or abroad or they can opt for any other technical job.

Job Potential

There is tremendous scope for employment in Industries and Research Organizations, within our country and abroad. Indian Industry has reported very rapid growth in this area and graduates are needed in large numbers. Some of these areas are Software Development, Network Administration, Hardware & System Maintenance etc.

तृतीय वर्ष Ex-Student के सत्र 2025–26 के लिए पुरानी शिक्षा प्रद्वति लागू होगी।

**“उठो जागो और तब तक मत रुको
जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो”**



Post Graduate Courses स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

Structural frame work of the two years M.A./M.Sc.Program under NEP 2020					
	SEM-I	SEM-II	PG Diploma	SEM-III	SEM-V
Core Courses	DCC-1-Th (4 Cr) DCC-2 Th (4Cr) DCC-3 Th (4 Cr) DCC-4 Th (4Cr) DCC-1Th/Lab (4Cr) DCC-2Th/Lab (4Cr)	DCC-5-Th(4Cr)DCC-6 Th (4 Cr)DCC -7Th(4Cr) DCC-3Th//Lab(4Cr) DCC-4Th/Lab(4Cr)	Student who opt to exit after completion of the I year securing 48 credits will be awarded a PG Diploma in the relevant subject.	DCC-8-Th (4 Cr) DCC 9Th (4Cr)	DCC-10-Th(4Cr)
Discipline Specific Elective/ Generic Elective Courses	-	GEC-(1-4) Th (4Cr)		DSE-(5-8)Th(4Cr) DSE-(9-12) Th (4 Cr) DSE-(1-4) Th/Lab (4 Cr) GEC-(5-8)Th/Lab(4Cr)	DSE-(13-16) Th (4Cr) DSE-(17-20) Th(4Cr) DSE-(21-24) Th (4 Cr) DSE-(9-12)Th/Lab (4Cr) DSE-(13-16) Th/Lab (4Cr)
	24+0=24	20+4=24		8+16=24	4+20=24
	56 (DCC) +40 (DSE/GEC) = 96				

1. Courses with practical component theory (4 credits)+practical (2 credits) = 6 credits
2. Non-practical courses ; theory (5 credits)+tutorial (1 credit) = 6 credits
3. GEC (Genric Elective Courses) ; DPR Dissertation, project & report of field studies

एम.ए

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित विषयों में अध्ययन की सुविधा है-

क्र.स.	विषय	कुल स्थान
1.	अंग्रेजी साहित्य	40
2.	हिन्दी साहित्य	40
3.	अर्थशास्त्र	40
4.	राजनीति विज्ञान	40
5.	ग्रामीण समाजशास्त्र	40

प्रवेश योग्यता : स्नातक (10+2+3) स्तर पर न्यूनतम 48 प्रतिशत अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी उपर्युक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश योग्य है।

आरक्षण : अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार।

नोट :- स्नातकोत्तर कला में 15 विद्यार्थी से कम आवेदन होने पर उनकी फीस लौटा दी जायेगी व प्रवेश निरस्त माना जायेगा।



M.Sc (Maths)

Vidya Bhawan Rural institute has introduced P.G. course in Maths in year 2004.

Eligibility: Undergraduate in Science with Maths subject(10+2+3) with minimum 50%overall or 55% in Maths. ST/SC/OBC is eligible at minimum marks in qualifying exams.

Seats: 20

Reservation: Reservation for ST/SC/OBC as per the Govt. rules.

M.Sc. (Chemistry)

(i) Analytical Chemistry

Vidya Bhawan Rural Institute, in keeping with its dynamic and innovative approach, has introduced a job-oriented course M.Sc. Analytical Chemistry in the year 2002 to produce professionals in the field of Chemistry.

Analytical Chemistry has emerged as an important independent branch mainly because of the development of analytical research. The present world scenario is highly competitive. Faster techniques and accuracy of results are the main criteria of any analysis. This course is designed to provide students an opportunity in chemical industries.

(ii) Organic Chemistry

Salient Features:

- (1) Newly constructed laboratory equipped with latest instruments such as spectrophotometer (with microprocessor), Polarograph, Flame Photometer, Karl Fisher Titrator, Colorimeter etc.
- (2) Qualified staff, well-versed with latest techniques & methods.
- (3) Industrial Tour.
- (4) Regular Seminars & Lectures from renowned Professors.
- (5) Well stocked library with standard books related to the subject.



Eligibility : Science Graduate (10+2+3) having minimum 50% marks in aggregate or 55% marks in Chemistry. SC/ST/OBC students are eligible at minimum pass marks in qualifying exam.

No. of Seats:

Analytical Chemistry- 20 (19+1 Reserved for VB staff ward)

Organic Chemistry- 20 (19+1 Reserved for VB staff ward)

Admission in organic chemistry (Subject specialization) is merit based. It is based on the marks obtained in M.Sc. previous exam by applicant.

Note: In case admission is less than 15 then their fees will be refunded.

विद्यावाचस्पति (Ph.D)

Student Allotment Through University Entrance Exam

Name of Guide	Department	Scholar Enrolled	Degree Awarded
1. Dr. Sushma Jain	Zoology	4-	1
2. Dr. Anita Jain	Botany	3	-
3. Dr. Rehana Khanam	Chemistry	2	-
4. Dr. Manoj Rajguru	Political Science	6	7
5. Dr. Sameer Vyas	History	4	2
6. Dr. Shri Ram Arya	Rural Development	3	7
7. Dr. Neeru Shrimali	Physical Education	5	-
8. Dr. Kanchan Paneri	Sociology	-	-



BBA (Bachelor of Business Administration) **-A Three Years Professional Degree Course**

In this age of economic liberalisation and globalisation, course pertaining to management, economics, finance etc. have assumed a great deal of importance. Catching up with this trend, in 1996, VBRI pioneered in introducing this course at undergraduate level. Students passed from this institute are able to get admissions in prestigious college and institutions like IIM, ICFAI, S.P. Jain Institute of Management, Nirma Institutes of Management, FMS Delhi University, Symbiosis-Pune etc. for higher studies in Management.

The BBA programme widens horizon and opportunities for students aiming career in corporate sector. It provides in depth knowledge of various functional areas of Management, finance, economics, computer application and quantitative techniques. The course aims at enabling the students to understand and improve their ability in making vital financial and administrative decisions. Classes are running on semester system.

Objectives:

1. Exploring managerial skill in the students.
2. Develop intellectual and behavioural competencies.
3. Develop future professional and to create learning opportunities.
4. To inculcate the entrepreneur skill and leadership qualities.
5. To impact quality education with Global mindset.

Industrial Visit & Case Study

Time to time industrial visits are arranged at different industries so that student can get an exposure to operational activities. Make case study as a value added learning method for BBA students. These visits are arranged to develop the insight of the students towards practical knowledge. It will enhance interpersonal skill and communication techniques.

Eligibility:

Senior Secondary (10+2) pass students of any discipline with minimum 48% marks (For students outside Rajasthan : 60% marks), SC/ST/OBC candidates are eligible at minimum pass marks.



महाविद्यालय समितियां 2025-26

• छात्रसंघ समिति

1. डॉ. श्रीराम आर्य (छात्र अधिष्ठाता)
2. डॉ. कविता अजमेरा (सहछात्र अधिष्ठाता)
3. डॉ. अनिता जैन
4. डॉ. निशा राजदान
5. डॉ. नरेश साहू
6. श्री आनंद भावसार

• नियोजन परामर्श (Placement)

1. डॉ. रतन लाल सुथार (संयोजक)
2. डॉ. कविता अजमेरा
3. डॉ. हर्षिता भटनागर
4. डॉ. चेष्टा शर्मा
5. डॉ. सुषमा जैन

• छात्रवृत्ति समिति S.C./S.T. समाज कल्याण

1. डॉ. विकास बया (संयोजक)
2. श्रीमती कुमुद पालीवाल
3. श्री आनंद भावसार
4. श्रीमती भावना लौहार

• मुख्यमंत्री (अल्पसंख्यक एवं अन्य)

1. डॉ. अंजु जैन (संयोजक)
2. श्रीमती रेखा शर्मा

• VBS छात्रवृत्ति

1. डॉ. कचन पानेरी (संयोजक)
2. डॉ. पिकी सोनी

• विषय परिवर्तन

1. डॉ. मनोज राजगुरु (कला)
2. डॉ. लक्ष्मण सिंह राजपुत (विज्ञान)

• खेल समिति

1. डॉ. नीरु श्रीमाली (संयोजक)
2. डॉ. श्रीराम आर्य
3. श्रीमती रेखा शर्मा
4. श्री नरदेव सिंह (भुगोल प्रयोगशाला सहायक)

• अनुशासन/एंटी रेगिंग/शिकायत निवारण

1. डॉ. नीरु श्रीमाली (संयोजक)
2. DSW (डॉ. श्रीराम आर्य)
3. डॉ. कंचन पानेरी
4. श्री नरेश साहू

• राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

1. डॉ. अर्चना जैन (यूनिट प्रभारी) – प्रथम
2. डॉ. ज्योति कंठालिया (यूनिट प्रभारी) – द्वितीय
3. श्री ललित मेनारिया (कार्यालय सहायक)

• रोवर इकाई

1. डॉ. श्रीराम आर्य (रोवर स्काउट लीडर)

• आंतरिक शिकायत समिति/महिला उत्पीडन निवारण समिति (Internal Complain Committee)

1. श्रीमती चेष्टा शर्मा (संयोजक)
2. डॉ. मनीष रावल
3. श्रीमती रेखा शर्मा
4. श्री दीपक प्रजापत (O.S.)
5. बाह्य सदस्य – सुश्री निष्ठा जैन

• संस्थान नवाचार परिषद

(Institute Inovation Council)

1. डॉ. हर्षिता भटनागर – अध्यक्ष IIC
2. डॉ. हिना खान – उपाध्यक्ष IIC
(राज.विद्यापीठ वि. वि.)
3. डॉ. किरण असनानी – संयोजक
4. श्रीमती चेष्टा शर्मा – यूक्ति कॉडिनेटर
5. डॉ. रतनलाल सुथार – सोसियल मीडिया
कॉर्डिनेटर



6. श्रीमती चेष्टा शर्मा – इनोवेशन एक्टिविटी कॉर्डिनेटर
7. डॉ. अंजु जैन – इन्टर्नशिप एक्टिविटी कॉर्डिनेटर
8. डॉ. अनिता जैन – IPR एक्टिविटी कॉर्डिनेटर
9. डॉ. मनीष रावल – स्टार्टअप एक्टिविटी कॉर्डिनेटर
10. श्री सोनेश भाटिया – ARIIA कॉर्डिनेटर
11. श्री सोनेश भाटिया – NIRF कॉर्डिनेटर
12. श्री ललित मेनारिया – सदस्य
11. श्री शेलेन्द्र सिंह बारहठ (सदस्य प्रबंधन)
12. श्री भुवनेश शर्मा (सदस्य, कम्युनिटी)
13. श्री तुषार पंवार (छात्र प्रतिनिधी)
14. सुश्री हिमाक्षी शर्मा (प्रतिनिधी छात्रा)

• **IQAC**

1. डॉ. टी. पी. शर्मा (चेयर पर्सन)
2. डॉ. दक्षा शर्मा (संयोजक)
3. डॉ. अंजु जैन
4. डॉ. विकास बया (प्रशासनिक अधिकारी)
5. डॉ. रेहाना खानम
6. डॉ. किरण असनानी
7. डॉ. बरखा रानी त्रिपाठी
8. डॉ. कुमुद पालीवाल
9. श्री मोहनलाल शर्मा (पूर्व छात्र सदस्य)
10. श्री राकेश मिश्रा (औद्योगिक क्षेत्र)

• **ऑरियेन्टेशन समिति**

1. डॉ. लक्ष्मण सिंह राजपूत (विज्ञान समूह)
2. डॉ. कंचन पानेरी (कला समूह)
3. डॉ. कविता अजमेरा (वाणिज्य एवं प्रबन्धन समूह)

• **वेलनेस समिति**

1. डॉ. ज्योति कंटालिया (संयोजक)
2. डॉ. रतनलाल सुथार (सदस्य)
3. डॉ. निष्ठा जैन (सदस्य VBS)
4. सुश्री माण्डवी राणावत (सदस्य VBS)
5. श्री पुरण सोनी (छात्र सदस्य VBRI)
6. सुश्री दुर्गा (छात्रा सदस्य VBRI)

शिक्षा वह शक्ति है, जो हमें बाहरी समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है।



प्रवेश नियम एवं प्रक्रियाएँ

ADMISSION RULES AND PROCEDURES

(क) सामान्य सूचनाएँ (General Information)

- I. ग्रीष्मकाल के पश्चात् महाविद्यालय का शिक्षण कार्य राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रारम्भ होगा।
- II. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रमाण-पत्रों सहित प्रवेश की घोषित तिथि तक अथवा उसके पूर्व महाविद्यालय के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न होने वाले प्रमाण-पत्रों की सूची आवेदन-प्रपत्र में दी गई है। अपूर्ण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
- III. विभिन्न कक्षाओं के लिए प्रवेश-सूचियाँ, प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम तथा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय सूचना पट्ट पर यथासमय लगा दी जाएगी। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने प्रवेश की जानकारी हेतु महाविद्यालय सूचना पट्ट तथा महाविद्यालय की Website पर देखते रहें। इस सम्बन्ध में डाक द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाएगी।
- IV. एक बार जमा कराया गया शुल्क इस विवरणिका में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दिया जाएगा।

(ख) सामान्य नियम (General Rules)

- I. महाविद्यालय में सभी कक्षाओं में सभी नये प्रवेश पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिये जायेंगे।
- II. एक से अधिक उपाधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक विद्यार्थी किसी भी एक उपाधि/पाठ्यक्रम जिसमें वह अध्ययन करना चाहता है, के बारे में प्रवेश शुल्क जमा कराने की तिथि व व्यक्तिगत परामर्श (Counseling) में निश्चित करना अनिवार्य होगा और दूसरे प्रवेश आवेदन को रद्द करना होगा अन्यथा उसेकोई भी शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा।
- III. राजस्थान राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्णकर आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु तभी योग्य समझा जाएगा जब अर्हक परीक्षा में उनके प्राप्तांकों का प्रतिशत 60 प्रतिशत (प्रथम श्रेणी) से कम न हो तथा उनकी उपाधि को इस विश्वविद्यालय की उपाधि के समकक्ष माना गया हो किन्तु जिन बाहर के विद्यार्थियों ने अर्हक परीक्षा इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है उन पर एवं राजस्थान के मूल निवासी का सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र देने पर यह नियम लागू नहीं होगा। वे उच्चतर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंकों पर प्रवेश योग्य माने जायेंगे, यदि उनका नाम योग्यता क्रम में आता हो।



टिप्पणियाँ:

1. राज्य के समस्त योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों के प्रवेश के पश्चात् यदि कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो 60 प्रतिशत से कम प्राप्तांकों वाले राजस्थान के बाहर वाले विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है, यदि वे न्यूनतम योग्यता मानदण्ड पूरा करते हों।
2. केन्द्र सरकार/राजस्थान सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने के अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् उदयपुर बस जाने पर उनके बच्चों/आश्रितों को प्रवेश के मामले में स्थानीय विद्यार्थियों के समकक्ष माना जाएगा। यह नियम केवल स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर तक ही लागू होगा।
3. केन्द्र सरकार/राजस्थान सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने के अलावा किसी भी विद्यार्थी को तृतीय सेमेस्टर में नियमित/स्वयंपाठी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी को प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर के विश्वविद्यालय के अपूर्ण पाठ्यक्रम में भी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश उपलब्ध विषय ग्रुप/समूहों के अनुसार ही दिया जाएगा। इन विषय ग्रुप/समूहों में प्रवेश लेने पर प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम की कोई भी अपूर्णता उसे प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा देकर पूर्ण करनी होगी। सारे प्रवेश नई शिक्षा नीति 2020 के नियमानुसार ही दिये जायेंगे।
4. यदि किसी सैनिक अधिकारी की नियुक्ति 'कुटुम्ब-विहीन स्थान' (Non-Family Posting) पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो उसे राजस्थान में उपस्थित कर्मचारी के समकक्ष माना जाएगा।
5. (अ) किसी भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को उसी कक्षा में अथवा उसी विषय में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी कारण से महाविद्यालय में एक बार प्रवेश लेकर छोड़ने पर अगले सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम में लगातार दो सत्र की सेमेस्टर परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो तो उसी पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी भी कारण से परीक्षा का फार्म नहीं भरता है अथवा परीक्षा में नहीं बैठता है अथवा उपस्थिति की न्यूनतम आवश्यकता पूरी न होने के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाता है तो उसे अनुत्तीर्ण की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसे श्रेणी के विद्यार्थी आगामी सत्र में एक्स-स्टूडेंट के रूप में परीक्षा दे सकेंगे। किसी भी सेमेस्टर या तृतीय वर्ष में केवल वे विद्यार्थी ही एक्स-स्टूडेंट के रूप में परीक्षा दे सकेंगे जिन्होंने पिछले वर्ष में उपर्युक्त कक्षाओं में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो और उपर्युक्त वर्णित किसी भी कारणवश परीक्षा में नहीं बैठ पाए हों।
(ब) स्नातक/स्नातकोत्तर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की किसी भी कक्षा में लगातार तीन अवसर प्रदान किये जायेंगे, जिनमें अनुत्तीर्ण होने पर पुनः उसी कक्षा में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं ऐसे विद्यार्थी की उस पाठ्यक्रम की पात्रता समाप्त कर दी जाएगी। उसे पुनः पाठ्यक्रम की सेमेस्टर प्रथम की परीक्षा में सम्मिलित होने की ही अनुमति दी जा सकेगी। तीन अवसर में विद्यार्थी के परीक्षा में अनुपस्थित होने वाले वर्ष की भी गणना की जाएगी।
(स) जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष एम.ए./एम.एससी. में प्रवेश चाहते हैं किन्तु उन्होंने 2025 में आयोजित अर्हक



परीक्षा पास करने के बजाय उससे पूर्व आयोजित परीक्षा पास की है तथा उनके अध्ययन की निरन्तरता में अन्तराल (गेप) आ गया है, ऐसे प्रवेशार्थियों को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र (Affidavit) देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्षों में क्या किया तथा वे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी नहीं हैं।

6. स्नातक स्तरीय कक्षा में प्रवेश हेतु किसी विद्यार्थी को, जिसे विश्वविद्यालय/बोर्ड की पूरक परीक्षा देनी है उस विषय में जिसमें पूरक परीक्षा देनी है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक देकर उसकी योग्यता निर्धारित कर स्थान रिक्त होने पर अन्त में अस्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश की अन्य प्रक्रिया उसे पूरी करनी होगी।
7. यदि किसी विद्यार्थी को तृतीय वर्ष की पूरक परीक्षा में बैठना है तो उसे सामान्यतया स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश योग्य नहीं माना जाएगा तथापि यदि समस्त विद्यार्थियों के प्रवेश के पश्चात् कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो उसे केवल एम.ए. कक्षा में प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जिस विषय में विद्यार्थी को पूरक परीक्षा देनी है उसके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जोड़कर योग्यता निर्धारण किया जाएगा, यदि वह न्यूनतम प्रवेश योग्यता रखता हो। एम. एससी. स्तर पर पूरक परीक्षा के योग्य घोषित विद्यार्थी प्रवेश योग्य नहीं होंगे।
8. किसी भी विद्यार्थी को आवश्यक न्यूनतम योग्यता से एक भी अंक कम होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ग) प्रवेश प्रक्रिया

महाविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाएँ होगी –

1. प्रवेश संबंधी अधिसूचना (Admission Notification)

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने के पूर्व प्रवेश संबंधी अधिसूचना द्वारा महाविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करेंगे। अधिसूचना में विभिन्न पाठ्यक्रम, आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि एवं आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि आदि के संबंध में सूचना रहेगी। अधिसूचना की प्रतियाँ महाविद्यालय/विभागों के सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी।

2. प्रवेशार्थी आवेदन-पत्रों का वितरण (Distribution of Application Forms)

आवेदन विद्यार्थी को महाविद्यालय वेबसाइट पर दिये गये लिंक से ऑनलाईन करना होगा तत्पश्चात् प्राप्त आवेदन फॉर्म प्रिन्ट आउट मय रसीद महाविद्यालय में जमा करवाना होगा। तकनीकी दुविधा होने पर कुछ विशेष परिस्थिति में ही ऑफलाईन आवेदन पत्र महाविद्यालय में 300/-रुपये देकर प्राप्त करें एवं भरकर निर्धारित अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में जमा करवाएँ व रसीद प्राप्त करें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम प्रवेश सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

3. आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि (Last Date of Submitting Application Forms)

पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र की अंतिम तिथि विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कक्षाओं के लिए महाविद्यालय विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक देखें। विशेष परिस्थितियों में अथवा किन्ही विशिष्ट पाठ्यक्रमों में कुछ स्थान रिक्त रहने की स्थिति में आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि बढ़ाई जा सकती है।



4. प्रवेश अयोग्य विद्यार्थी (Candidates not eligible for Admission)

निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी महाविद्यालय के किन्ही भी विभागों में प्रवेश हेतु योग्य नहीं होंगे –

- (I) वे आवेदक जिनके विरुद्ध महाविद्यालय के समक्ष अधिकारी, शिक्षक अथवा अन्य कर्मचारी ने पुलिस में अधिकृत रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो और उन्हें उसके कारण सजा हुई हो या किसी अन्य प्रकार दण्डित किया गया हो।
- (II) वे आवेदक, जो किसी फौजदारी मुकदमें में दोषी पाए गए हों अथवा जो न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किये गये हों या जिन पर न्यायालय में मुकदमा चलता रहा हो।
- (III) वे आवेदक, जिन्होंने संबंधित प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा उससे पूर्व महाविद्यालय के अध्यापक/अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार किया हो तथा जिन्होंने परीक्षा में अनुचित साधन आदि का प्रयोग किया हो अथवा जिन्हें महाविद्यालय में प्रवेश से वर्जित किया गया हो/या अन्य प्रकार से दण्डित किया गया हो।
- (IV) वे आवेदक, जिन्होंने संतापन (Ragging) जैसी घृणित, जघन्य एवं अमानवीय गतिविधियों में भाग लिया हो तथा जिन्हें राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 3/21/शिक्षा गुप, 111/83, दिनांक 3 जुलाई 1984 के अनुसार दण्डित किया गया हो।
- (V) यदि किसी आवेदक की शारीरिक अक्षमता किसी विशिष्ट विषय की पढ़ाई-लिखाई में बाधक हो सकती है तो उस विषय में उसे प्रवेश देने से मना किया जा सकता है।

5. आवेदकों को निर्देश (Instructions for Applicant)

- (I) सभी प्रविष्टियाँ आवेदक द्वारा स्वयं भरी जानी चाहिये तथा सभी दृष्टियों से पूर्ण होनी चाहिये। यदि कोई प्रविष्टि लागू नहीं हो तो 'लागू नहीं' लिखिए।
- (II) सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन-पत्र उसमें बताए गए प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित महाविद्यालय कार्यालय में व्यक्तिगत या डाक द्वारा निर्धारित अंतिम दिनांक तक पहुँच जाना चाहिए।
- (III) नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि माध्यमिक शिक्षा प्रमाण-पत्र के अनुसार होनी चाहिए।
- (IV) निवास का पूर्ण पता, फोन नम्बर/मोबाईल नम्बर, ई-मेल आई.डी. एवं पिन कोड फार्म में सही दर्ज कराए। जिन विद्यार्थियों का ई-मेल आई.डी. नहीं है उन्हें आवेदन करने से पूर्व आवश्यक रूप से अपना ई-मेल आई.डी. बनवाना अनिवार्य है। यदि पते या फोन नम्बर में परिवर्तन हो तो कार्यालय में तुरन्त सूचित करें।
- (V) परिचय पत्र प्रवेश की कार्यवाही पूरी होने पर दिया जाएगा।
- (VI) गलत घोषणा एवं प्रमाण-पत्र देने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

6. आवेदन-पत्र के साथ लाए जाने वाले प्रपत्र (Documents to be brought with Application Form)

प्रत्येक नवीन प्रवेश के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना रंगीन फोटो एवं निम्नलिखित प्रपत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियाँ साथ लानी होगी।



- (I) अर्हक परीक्षा/परीक्षाओं की अंकतालिका/तालिकाएँ। स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिका की सत्यापित प्रतिलिपियाँ लगाएँ।
- (II) अंतिम संस्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र।
- (III) अंतिम संस्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से चरित्र प्रमाण-पत्र।
- (IV) उच्च माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा/समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि का उल्लेख हो।
- (V) यदि आवेदक, शुल्क में रियायत का पात्र है, तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (VI) यदि आवेदक, आरक्षित स्थानों पर प्रवेश का पात्र है, तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (VII) रियायत अथवा योग्यता निर्धारण हेतु दिए बोनस अंक का यदि आवेदक पात्र है, तो सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र।
- (VIII) अंतिम अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं आवेदन पत्र देने में एक अथवा उससे अधिक वर्षों का अंतर हो तो अंतर के संबंध में वांछित स्पष्टीकरण 100/-रुपये के स्टाम्प पेपर नोटेरी प्रामाणित शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्ष/वर्षों में क्या किया तथा वह अनुत्तीर्ण विद्यार्थी नहीं है।
- (IX) आवेदक एवं उसके माता-पिता/अभिभावक द्वारा इस आशय की घोषणा कि आवेदक नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहेगा तथा ऐसा कोई पूर्णकालिक व्यवसाय ग्रहण नहीं करेगा जिसमें उसके नियमित अध्ययन में बाधा पड़े। फार्म के साथ घोषणा पत्र संलग्न जरूर करें।
- (X) आधार कार्ड की प्रतिलिपि (फोटोकॉपी) संलग्न करें।

टिप्पणियाँ:

- (I) यदि आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में से प्रवेश की आवश्यकतानुसार किसी प्रपत्र को उपलब्ध करने में असमर्थ रहता है तो उसका आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा। काउंसलिंग के समय मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा।
- (II) आवेदन-पत्र के साथ नहीं दिया गया योग्यता एवं आरक्षण आदि को प्रमाणित करने वाला प्रपत्र बाद में स्वीकार नहीं होगा एवं आरक्षण/बोनस अंक/शुल्क में रियायत के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र भरते समय प्रार्थी ने यदि आरक्षण, रियायत अथवा अतिरिक्त अंक भार नहीं चाहा तो उसे कोई आरक्षण, रियायत एवं अंकभार नहीं दिया जाएगा।
- (III) प्रवेश समिति आवेदन पत्र के साथ दिए गए प्रपत्र के आधार पर ही योग्यता का निर्धारण करेगी। शुल्क निर्धारण हेतु आवेदक माता-पिता/अभिभावक की आय स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे।



7. प्रवेश का निरस्तीकरण (Cancellation of Admission)

अधोलिखित परिस्थितियों में आवेदकों का प्रवेश संस्थाध्यक्ष द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

- (I) आवेदक द्वारा किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया हो एवं गलत जानकारी / तथ्य दिए गए हों।
- (II) यदि आवेदन-पत्र पर माता या पिता अथवा अभिभावक आदि के जाली हस्ताक्षर किए गए हों।
- (III) यदि जाली प्रपत्र / प्रमाण-पत्र संलग्न किए गए हों।
- (IV) यदि आवेदक पूरक परीक्षा या अन्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए जिसके आधार पर उसे आगे की कक्षा में अस्थाई प्रवेश दे दिया गया हो।
- (V) यदि आवेदक को संस्था / न्यायालय द्वारा किसी अनुशासनहीनता या अपराध के लिए दण्डित किया गया हो।

8. उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन पर उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रवेश (Admission of Candidates qualifying on Re evaluation of Answer-book)

किसी नियमित विद्यार्थी की उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में उसे आगे की कक्षा में तभी प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वह पुनःमूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित होने के दिनांक से 10 दिन के अन्दर आवेदन पत्र दें। ऐसे विद्यार्थी के आवेदन पत्र पर तभी विचार किया जाएगा यदि जिस कक्षा में वह प्रवेश का इच्छुक है। उसमें स्थान रिक्त हो एवं उसके द्वारा प्राप्त अंको का प्रतिशत योग्यता क्रम में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्रतिशत से कम न हो प्रवेश से वंचित विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप में नियमानुसार अपना अध्ययन कर सकेंगे।

9. प्रवेश वर्जित

नियमानुसार महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों को सम्बन्धित महाविद्यालयों में उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश देय नहीं है।

10. प्रवेश सम्बन्धित सामान्य टिप्पणियाँ

- (I) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) अभ्याथियों के लिए आरक्षण नियम राज्य सरकार की प्रवेशनीति के निर्देशानुसार लागू रहेंगे।
- (II) अभ्यर्थी जब तक माइग्रेशन तथा स्थानान्तरण-पत्र (टी.सी.) की मूल प्रति नहीं दे देंगे, तब तक उनका प्रवेश अस्थाई माना जायेगा।
- (III) सभी संकायों में प्रवेश सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्वीकृत होने पर ही अंतिम रूप से मान्य होगा।
- (IV) महाविद्यालय में प्रवेश राज्य सरकार की प्रवेश नीति सत्र 2025-26 एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय है।

uks%a nsk | aak fu; e dks f kkk funsky; dsvubkj ekj gksa



विद्यार्थी आचार संहिता एवं नियम

1. इंस्टीट्यूट में अनुपस्थित रहने के लिए विद्यार्थी को पिता अथवा अभिभावक द्वारा अनुमोदित आवेदन-पत्र देना होता है। पूर्व अनुमति प्राप्त होने पर ही विद्यार्थी अवकाश पर रह सकता है। बिना अनुमति प्राप्त किये संस्था से दीर्घ अवधि तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का नाम हटा दिया जायेगा। निर्धारित शुल्क देने पर ही उसे महाविद्यालय में पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा।
2. संस्था द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में विद्यार्थी को संस्था से अलग किया जा सकता है, यदि-
 - (I) विद्यार्थी किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए।
 - (II) निर्धारित समय में शुल्क जमा न कराए या शुल्क जमा कराने में निरन्तर अनियमितता करें।
 - (III) छेड़छाड़ एवं रैगिंग जैसे कार्यों में लिप्त हो।
 - (IV) संस्था में बिना पूर्व अनुमति के दो सप्ताह तक अनुपस्थित रहे।
 - (V) निदेशक अथवा प्राध्यापकों की आज्ञा का उल्लंघन करे।
 - (VI) अन्य विद्यार्थियों पर कुप्रभाव डाले अथवा संस्था का वातावरण दूषित करे।
 - (VII) संस्था / महाविद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार से नुकसान पहुँचाए।
3. विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का पालन करना होगा। नियमों की अनुपालना न करने की स्थिति में उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है अथवा उसे संस्था छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
4. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की सैद्धान्तिक कक्षाओं तथा प्रायोगिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
5. ग्राम सेवा, ग्राम विकास शिविर तथा ग्राम्य जीवन से सम्पर्क प्राप्त करने के लिए आयोजित कार्यक्रमों में प्रत्येक विद्यार्थी को सम्मिलित होना आवश्यक है।
6. संस्था छोड़ने वाले विद्यार्थी को 100/- रुपये जमा कराने पर स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) प्राप्त हो सकेगा। यदि किन्हीं कारणों से विद्यार्थी को संस्था से निष्कासित किया जाता है तो विद्यार्थी के नाम पर बाकी निकलने वाला शुल्क जमा कराने का उत्तरदायित्व अभिभावक होगा।
7. यदि विद्यार्थी सैद्धान्तिक (Theory) कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसे प्रायोगिक कक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
8. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से सूचना पट्ट देखें। सूचना पट्ट न देखने से होने वाली किसी सम्भावित क्षति के लिए विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
9. यदि किसी विद्यार्थी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई हो या वह न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो तो उसे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रवेश के बाद भी इस दृष्टि से दोषी पाये जाने वाले विद्यार्थी को महाविद्यालय से निलम्बित / निष्कासित किया जा सकता है।
10. महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सभी विद्यार्थियों का उपस्थित रहना आवश्यक है। इन आयोजनों में अनुशासन बनाए रखना विद्यार्थियों का कर्तव्य है।



11. महाविद्यालय की दीवारों व अन्य स्थानों को गंदा करना, उन पर लिखना, पोस्टर आदि चिपकाना अनुशासनहीनता माना जायेगा एवं ऐसा करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
12. महाविद्यालय की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने पर ऐसे विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं उन पर अर्थदण्ड भी लगाया जायेगा।
13. महाविद्यालय वर्तमान और भावी पीढ़ी की धरोहर है। इसकी गरिमा और मर्यादा बनाये रखना सभी विद्यार्थियों का पुनीत कर्तव्य है।
14. महाविद्यालय एवं छात्रावास में धूम्रपान, नशा आदि पूर्णतः वर्जित है।
15. प्रवेशित विद्यार्थी खेल, रॉवर, एन.एस.एस. एवं महाविद्यालय गतिविधियों में अनुशासन बनाए रखेगा एवं महाविद्यालय की गरिमा को नुकसान पहुँचाने वाला कार्य नहीं करेगा।
16. प्रत्येक विद्यार्थी को अपने वर्तमान फोटोग्राफ के साथ कॉलेज द्वारा जारी वैध पहचान पत्र (ID Card) साथ रखना होगा जिस पर महाविद्यालय निदेशक के हस्ताक्षर होंगे।
17. रैगिंग एक अपराध है। महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
18. कॉलेज परिसर और क्लास रूम सीसीटीवी के अधीन है अतः सभी को कॉलेज परिसर/कक्षा में अनुशासनात्मक ढंग से रहना होगा।
19. बिना अनुमति के कक्षा तथा पुस्कालय में मोबाईल फोन का उपयोग वर्जित है।
20. कॉलेज परिसर या कक्षा में किसी भी मित्र या किसी बाहरी व्यक्ति को विद्यार्थियों के साथ अनुमति नहीं दी जाएगी।
21. विद्यार्थियों को कॉलेज परिसर या उसके बाहर कुछ भी ऐसा करने से मना किया जाता है जो इसके प्रशासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करे या इसकी छवि को प्रभावित करें।
22. महाविद्यालय में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई बाहरी प्रभाव (राजनीतिक या अन्य) को नहीं लाया जाना चाहिए।
23. प्रत्येक विद्यार्थी को अपना वाहन पार्किंग स्थल पर ही रखना अनिवार्य है।
24. कॉलेज के रिकार्ड एवं दस्तावेजों का अनाधिकृत उपयोग। जालसाजी या कपटपूर्ण संचार (कागज या इलेक्ट्रॉनिक मेल) का अनाधिकृत उपयोग निषिद्ध है।

परीक्षा में व्यवहार :

परीक्षा में नकल करने, परीक्षा का बहिष्कार करने, उत्तर पुस्तिका फाड़ देने या लेकर भाग जाने, प्राध्यापक से अभद्र व्यवहार करने अथवा परीक्षा में अन्य अवैध तरीके अपनाने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

परिचय-पत्र:

महाविद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को अपने साथ परिचय-पत्र रखना आवश्यक है। परिचय-पत्र खो जाने की स्थिति में 100/-रुपये जमा करवाकर नया (डुप्लीकेट) परिचय-पत्र दिया जा सकेगा।



पुस्तकालय हेतु आचार सांहिता

1. महाविद्यालय का प्रत्येक व्याख्याता व नियमित विद्यार्थी पुस्तकालय की सदस्यता के लिए पात्र है।
2. पुस्तकालय का समय प्रातः 9.00 बजे से 4.00 बजे तक रहेगा।
3. पुस्तकालय में व्यक्तिगत सामान ले जाने की अनुमति नहीं है।
4. पुस्तकालय में दुर्व्यवहार करने पर सदस्यता रद्द कर दी जाएगी व सम्बन्धित विद्यार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
5. पुस्तकें समय पर लौटाने तथा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी विद्यार्थी की है अन्यथा उसे अर्थदण्ड दिया जायेगा।
6. पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं पर कुछ लिखना, उनमें से पृष्ठ फाडना अथवा उन्हें चुराना दण्डनीय अपराध है।
7. पुस्तकालय में विद्यार्थी शान्ति बनाये रखेंगे एवं मोबाईल का उपयोग नहीं करेंगे।
8. सभी विद्यार्थियों को पुस्तकालय प्रवेश द्वार पर उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करने होंगे।
9. पुस्तकालय में Internet Surfing Room में Computer व Internet का उपयोग सिर्फ शैक्षणिक कार्य हेतु किया जा सकता है। YouTube, Facebook का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
10. प्रत्येक विद्यार्थी को दो कार्ड पर दो ही पुस्तकें दी जाती है। विद्यार्थी अपने पुस्तकालय कार्ड किसी अन्य विद्यार्थी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।
11. संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन पुस्तकालय भवन में ही किया जा सकेगा।
12. अंतिम परीक्षा समाप्त होते ही सात दिनों में बुक बैंक की पुस्तकें लौटाना अनिवार्य है। अन्यथा 7 दिनों के बाद 200/-रुपये विलम्ब शुल्क देना होगा।
13. काउंटर छोड़ने से पहले प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं को संतुष्ट कर ले कि जो पुस्तक उसने इश्यु करवायी है वो अच्छी स्थिति में है या नहीं अन्यथा विद्यार्थी को जारी की गई पुस्तकों के किसी भी नुकसान का वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
14. विद्यार्थी द्वारा उधार (Issue) ली गई पुस्तक नियत तिथि (अवधि) को या उससे पहले लौटा दी जाए यदि नहीं तो प्रतिदिन 1 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। यदि नियत तिथि को अवकाश है तो अगले कार्य दिवस पर पुस्तक वापिस दी जा सकती है।
15. सभी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षा के पूर्व अपना पुस्तकालय कार्ड व पुस्तक वापिस जमा करवाना होगा अन्यथा No Dues Certificate नहीं दिया जाएगा।
16. यदि कोई विद्यार्थी/व्याख्याता कोई पुस्तक खो देता है तो वह पुस्तक (उसी शीर्षक, लेखक व संस्करण) की बदले में देगा या पुस्तक की वर्तमान लागत मूल्य का भुगतान करेगा।



17. कोई संविदा या नियमित व्याख्याता महाविद्यालय की सेवाओं से त्यागपत्र देता है तब उसे पुस्तकालय की सभी पुस्तकें वापस जमा करवा कर No Dues लेना अनिवार्य होगा।

गणवेश (युनिफॉर्म)

विद्याभवन रूरल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2025-26 में लागू होने वाली ड्रेस कोड (गणवेश) का विवरण निम्न प्रकार है।

1. विद्यार्थियों के लिए : ट्राउजर/जीन्स/पेन्ट-गहरा नीला
शर्ट/कमीज-सफेद
2. छात्राओं के लिए : शर्ट/कमीज-सफेद
ट्राउजर/पेन्ट/जीन्स-गहरा नीला
कुर्ता-गहरा नीला
सलवार/लेंगिंग एवं दुपट्टा-सफेद

शिक्षा हमारे समाज
की आत्मा है
जो एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी को दी जाती है।



विद्यार्थियों के लिए विभिन्न सुविधाएँ एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

पुस्तकालय:

महाविद्यालय का पुस्तकालय सुविधा सम्पन्न भवन में स्थित है। इस पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की 53449 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। खुली प्रणाली (Open Access System) के कारण प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी इच्छानुसार पुस्तकें उपलब्ध हो सकती हैं। पुस्तकालय में प्रतिवर्ष 20 पत्रिकाएँ मंगवाई जाती हैं।

बुक बैंक :

बुक बैंक में विभिन्न विषयों की लगभग 15756 पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग नियमानुसार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) :

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाईयाँ कार्यरत हैं। इस योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय किया जाता है। इस योजना की शिक्षा, जन जागरण, श्रमदान, वृक्षारोपण आदि प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में स्वैच्छिकता के भाव विकसित किए जाते हैं। इस योजना के तहत समय-समय पर विभिन्न शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। नियमित रूप से दो वर्ष तक इस योजना में कार्य करने पर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राजकीय नियमानुसार प्राथमिकता और बोनस अंक देने का प्रावधान है।

रोवर एव रेंजर :

महाविद्यालय में रोवर और रेंजर की एक इकाई कार्यरत है। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं में निस्वार्थ भाव से कार्य करने की रुचि पैदा करना है। इस गतिविधि में भाग लेने वाले रोवर/रेंजर को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है।

नियोजन एवं करियर परामर्श केन्द्र :

महाविद्यालय में विद्यार्थियों को रोजगार एवं उच्च शिक्षा संबंधी जानकारी, परामर्श एवं मार्गदर्शन देने हेतु इस केन्द्र का गठन किया गया है। इस केन्द्र द्वारा विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी Campus Interview कराये जाते हैं।

खेलकूद एवं योग :

महाविद्यालय में विभिन्न आउटडोर और इनडोर खेलों की व्यवस्था है। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार इनमें भाग ले सकते हैं। चुने हुए खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भेजा जाता है।

विशेष दक्षता प्रदर्शित करने वाले खिलाड़ियों को प्रशंसा-पत्र/प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।



नेचर क्लब :

सन् 2017-18 में विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट में नेचर क्लब की स्थापना की गई। नेचर क्लब का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं संस्था के परे वृहत् समाज में प्रकृति एवं पर्यावरण से सम्बन्धित जागरूकता लाना है एवं इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण में संलग्न करना है। नेचर क्लब विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित करता है, जैसे – नेचर वॉक द्वारा जैव विविधता की जानकारी देना, पर्वतारोहण, ऑरगेनिक फार्मिंग की जानकारी देना, पर्यावरण से सम्बन्धित समसामयिक विषयों पर वाद-विवाद, व्याख्यान माला एवं कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना।

अन्य गतिविधियाँ :

1. साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ एवं इनसे सम्बद्ध आयोजन।
2. विशेष उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम।

पुरस्कार :

1. अध्ययन की दृष्टि से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परिक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है।
2. महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता के साथ भाग लेने वाले विद्यार्थी को भी पुरस्कृत करने का प्रावधान है।
3. महाविद्यालय द्वारा आयोजित खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया जाता है।

छात्रसंघ :

विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परिचित कराने, उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए छात्रसंघ का गठन नियमानुसार किया जायेगा। छात्रसंघ का गठन निर्धारित संविधान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा घोषित तिथि को किया जायेगा।

छात्रवृत्तियाँ :

1. राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग के नियमानुसार दी जायेगी।
2. राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य छात्रवृत्तियाँ: योग्य विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित छात्रवृत्तियाँ भी नियमानुसार स्वीकृत होती हैं—
(क) श्रम निर्माण एवं कौशल छात्रवृत्ति।
(ख) मुख्यमंत्री एवं अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति।
3. विद्याभवन संस्थान छात्रवृत्ति विद्यार्थियों प्रतिवर्ष आर्थिक रूप से कमजोर अथवा एकल अभिभावक वालें नियमित मेधावी सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं सत्र 2024-25 में महाविद्यालय द्वारा 25 बच्चों को 1,50,000 रु. की छात्रवृत्ति दी गई।



नोट : उपरोक्त छात्रवृत्तियों में से केवल एक प्रकार की छात्रवृत्ति ही देय होगी। ये सभी प्रकार की छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है तथा संस्था के नियमों का पालन करना होगा।

अति आवश्यक सूचना :

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश डी 37/04 xi-A, दिनांक 26 फरवरी 2009 के अनुसार महाविद्यालय में किसी भी विद्यार्थी की रैगिंग लेना कठोर दंडनीय अपराध है। रैगिंग के अंतर्गत प्रमुख रूप से मानसिक, शारीरिक वेदना पहुँचाना, मानवीय स्वतंत्रता और गरिमा को क्षति पहुँचाना, अभद्र भाषा का प्रयोग, असुरक्षित और भयाक्रांत करना तथा अवांछनीय चेष्टा करने के लिए बाध्य करना माना गया है। इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त विद्यार्थी को न केवल छ माह का कठोर कारावास या रु. 1,00,000/-का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिए जा सकेंगे। अपितु महाविद्यालय द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र और उपाधि में भी उसे दी गई सजा का उल्लेख होगा। अतः महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रैगिंग जैसे अवांछनीय कार्य में लिप्त ना होकर स्वयं के भविष्य का निर्माण करें।

आवश्यक : बिना पूर्व कारण बताये संस्था निदेशक सभी नियमों, सूचनाओं आदि में परिवर्तन-परिवर्द्धन एवं संशोधन करने के लिए सक्षम है। विवरणिका में उल्लेखित किसी भी नियम, परिभाषा एवं व्याख्या में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

विवरणिका में दी गई पाठ्यक्रम संबंधी सूचनाओं एवं अकादमिक कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय के निर्देश से परिवर्तन हो सकता है, जो विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से मान्य होगा।



संस्था में संचालित अध्ययन केन्द्र (इग्नू)

1. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र (2302)

दूरस्थ शिक्षा केन्द्र के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त देश के अग्रणी विश्वविद्यालय इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के इस अध्ययन केन्द्र की जनवरी 2003 में स्थापना की गई। इस अध्ययन केन्द्र के माध्यम से विद्या भवन के मूल उद्देश्य – उच्च शिक्षा को ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के सुदूर इलाके में रहने वाले ग्रामीणों को उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराने की पूर्ति की जा रही है। इग्नू द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों के कुल 72 पाठ्यक्रमों में अध्ययन की सुविधा है। महाविद्यालय में स्थापित अध्ययन केन्द्र द्वारा प्रबन्ध, कम्प्यूटर पाठ्यक्रम (BCA/MCA/CIT), पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, शिक्षा, पर्यटन, पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, कला, वाणिज्य, विज्ञान स्नातक एवं स्नातकोत्तर आदि 40 से अधिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन की सुविधा है। इग्नू द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा पर होता है। इग्नू के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद अध्ययन केन्द्र द्वारा परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थियों के सत्रीय कार्य को स्वीकार कर उनका मूल्यांकन कराया जाता है एवं जून एवं दिसम्बर में परीक्षाएँ आयोजित की जाती है।

डॉ. लक्ष्मण सिंह

समन्वयक

(9414758109)

डॉ. सबा खान

सह-समन्वयक

डॉ. सरस्वती जोशी

सहसमन्वयक

डॉ. सुषमा जैन

सहसमन्वयक

डॉ. विकास बया

सहसमन्वयक

डॉ. मनोज राजगुरु

सह-समन्वयक

डॉ. रतन सुथार

सहसमन्वयक

डॉ. ज्योति कंठालिया

सहसमन्वयक

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

प्रशासन

1. कुलपति

0294-2470597

2. कुल सचिव

0294-2470166

3. परीक्षा नियंत्रक

0294-2811731



सत्र की गतिविधियाँ एवं अवकाश

1. शैक्षणिक सत्र आरम्भ
2. अध्यापन कार्य
(अ) तृतीय से षष्ठ सेमेस्टर
(ब) प्रथम सेमेस्टर
(स) प्रथम सेमेस्टर पूर्वार्द्ध (M.A./M.Sc.)
3. छात्रसंघ चुनाव
4. छात्रसंघ कार्यालय का उद्घाटन
5. कार्यभार भेजने की अंतिम तिथि
6. नियमित विद्यार्थियों का परीक्षा फार्म भरना
7. पूरक परीक्षाओं की समाप्ति
8. दशहरा अवकाश
9. विश्वविद्यालय नामांकन
10. स्वयंपाठी विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा फार्म भरना
11. दीपावली अवकाश
12. शीतकालीन अवकाश
13. शैक्षणिक भ्रमण, अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ तथा
सांस्कृतिक सप्ताह, पुरस्कार वितरण समारोह।
14. एन.एस.एस. एवं रोवर के शिविरों का आयोजन एवं गतिविधियाँ
15. वार्षिक / सेमेस्टर व अन्य परीक्षाओं का प्रारम्भ
(क) स्नातक
स्वयंपाठी विद्यार्थियों के हेतु
नियमित विद्यार्थियों हेतु
(ख) स्नातकोत्तर
16. सत्र का अंतिम दिवस

राज्य सरकार के
निर्देशानुसार

विश्वविद्यालय के
नियमानुसार



17. परीक्षा परिणामों की घोषणा


18. नवीन सत्र प्रारम्भ

राज्य सरकार के
निर्देशानुसार

नोट: शैक्षणिक कैलेंडर 2025–26 कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अनुसार मान्य एवं संचालित होगा।

टिप्पणी :

1. राज्य के किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी. गतिविधियों को छोड़कर कोई भी सह-शैक्षणिक अथवा शैक्षणोत्तर गतिविधियाँ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिनांक के पश्चात् आयोजित नहीं की जायेंगी।
2. उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक अथवा सत्र सारणी में महाविद्यालय स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
3. समस्त प्रायोगिक परीक्षाएँ विश्वविद्यालय समय सारणी के अनुसार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार की जायेंगी। प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान अन्य कक्षाएँ यथावत चलेगी।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 180 शैक्षणिक दिवस होने आवश्यक है।





विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट, उदयपुर

सत्र : 2025-26

महाविद्यालय विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क का विवरण

Form Fee- Rs.350 for I st Sem & Rs.250 for remaining Sem/Year

Under Graduate

Courses	I year	II Year	III Year
B.A. (With Practical Subject)	20300	17610	18110
B.A. (Without Practical Subject)	18510	16510	16410
B.Sc. (BIO / MATHS / COMPUTER)	24960	22510	20610
B.Com.	18510	16510	16310
B.C.A.	26560	22310	22310
B.B.A.	25010	22310	21210

Post Graduate

Courses	Previous	Final
M.A.	14810	13510
M.Sc. (CHEMISTRY)	35710	33210
M.Sc. (MATHEMATICS)	21410	18510



UNDER GRADUATES

DETAILED FEE STRUCTURE FOR ARTS

Head	Under Graduate					
	BA (WITH Pract.)			BA (WITHOUT Pract.)		
	1st Year	2nd Year	3rd Year	1st Year	2nd Year	3rd Year
REGISTRATION FEES	300			300		
TUTION FEES	18290	16700	17200	16500	15600	15500
GAMES FEES	300	300	300	300	300	300
STUDENT UNION FEES	200	200	200	200	200	200
LIBRARY FEES	350	350	350	350	350	350
CAUTION MONEY	800			800		
STUDENT INSURANCE	50	50	50	50	50	50
ROVER UNIT	10	10	10	10	10	10
Total Fees	20300	17610	18110	18510	16510	16410

DETAILED FEE STRUCTURE FOR COMMERCE & MGMT

Head	Under Graduate					
	BCOM			BBA		
	1st Year	2nd Year	3rd Year	1st Year	2nd Year	3rd Year
REGISTRATION FEES	300			300		
TUTION FEES	16500	15600	15400	23000	21400	20300
GAMES FEES	300	300	300	300	300	300
STUDENT UNION FEES	200	200	200	200	200	200
LIBRARY FEES	350	350	350	350	350	350
CAUTION MONEY	800			800		
STUDENT INSURANCE	50	50	50	50	50	50
ROVER UNIT	10	10	10	10	10	10
Total Fees	18510	16510	16310	25010	22310	21210

DETAILED FEE STRUCTURE FOR SCIENCE

Head	Under Graduate					
	BSC (BIO /MATHS/ COMP.SC.)			BCA		
	1st Year	2nd Year	3rd Year	1st Year	2nd Year	3rd Year
REGISTRATION FEES	300			300		
TUTION FEES	22950	21600	19700	24550	21400	21400
GAMES FEES	300	300	300	300	300	300
STUDENT UNION FEES	200	200	200	200	200	200
LIBRARY FEES	350	350	350	350	350	350
CAUTION MONEY	800			800		
STUDENT INSURANCE	50	50	50	50	50	50
ROVER UNIT	10	10	10	10	10	10
Total Fees	24960	22510	20610	26560	22310	22310



POST GRADUATES

MA		
Head	Previous	Final
REGISTRATION FEES	300	
TUTION FEES	12800	12600
GAMES FEES	300	300
STUDENT UNION FEES	200	200
LIBRARY FEES	350	350
CAUTION MONEY	800	
STUDENT INSURANCE	50	50
ROVER UNIT	10	10
Total Fees	14810	13510

MSC MATHS		
Head	Previous	Final
REGISTRATION FEES	300	
TUTION FEES	19400	17600
GAMES FEES	300	300
STUDENT UNION FEES	200	200
LIBRARY FEES	350	350
CAUTION MONEY	800	
STUDENT INSURANCE	50	50
ROVER UNIT	10	10
Total Fees	21410	18510

MSC CHEMISTRY		
Head	Previous	Final
REGISTRATION FEES	300	
TUTION FEES	33700	32300
GAMES FEES	300	300
STUDENT UNION FEES	200	200
LIBRARY FEES	350	350
CAUTION MONEY	800	
STUDENT INSURANCE	50	50
ROVER UNIT	10	10
Total Fees	35710	33210



1. University Enrollment and Exam Fee Extra will be taken directly by MLSU.
2. New Admission in UG (IIIrd Sem & Vth Sem will attract Rs. 1100/- (C A U T I O N MONEY Rs.800/-, REGISTRATION FEE Rs.300/-)
3. College Development Fee Rs.250/- per sem will be applicable for Private Students at the time of receiving exam forms.
4. Staff Concession as per the norms of VB Society 50% of Tuition Fees
5. Rs.50 for Students Insurance & Rs.10 for Rover Unit extra (From I, III & V sem UG Students and I or III Sem of PG Students)"
6. Caution Money will be refunded between 6 months to 2 years the students has left the college."
7. All the expenses during Educational Trip & Industrial Visit will be born by the Students
8. Form Fee- Rs.350 for I st Sem & Rs.250 for remaining Sem
9. 50% of Tuition Fees will be applicable for Ex-Students of each Semester.

नोट :-

1. विश्वविद्यालय पंजीकरण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क सीधा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा लिया जायेगा।
2. स्नातक (IIIrd Sem & Vth Sem) में प्रवेश लेने वाले नये प्रवेशार्थी को 1100 /-रुपये देने होंगे (Caution money-800 rs.)+(Registration Fee - 300 rs.)।
3. स्वयंपाठी विद्यार्थियों को परीक्षा फार्म जमा करवाते समय 250 /-प्रति सेमेस्टर महाविद्यालय विकास शुल्क जमा करवाना होगा।
4. विद्याभवन के कर्मचारियों के बच्चों को शुल्क में रियायत सोसायटी के नियमानुसार ट्यूशन फीस की 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएंगी।
5. विधार्थी को 50 रु बीमा शुल्क एवं रोवर शुल्क 10 रु लिये जायेगे। (From I, III & V sem UG Students and I or III Sem of PG Students)"
6. अवधान द्रव्य (Caution Money) संस्था छोड़ने के छह माह बाद लौटाया जा सकेगा। यह राशि संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद तक की अवधि में प्राप्त कर लेनी होगी अन्यथा यह 'अदेय' मान ली जाएगी।
8. सभी प्रकार के औद्योगिक एवं शैक्षणिक भ्रमण पर होने वाला व्यय विद्यार्थियों द्वारा वहन किया जायेगा।
9. Ex-Student को महाविद्यालय में ट्यूशन फीस का 50 प्रतिशत फीस जमा करवाकर प्रत्येक सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा।



Fee Refund Policy

The refund is applicable only for those students who have deposited full fee in single down payment.

S.N.	Percentage of fee Applicable for refund	Point of time application for withdrawal of admission received by HEI
1	95%	15 days or more before the formally notified last date.
2	75%	Less than 15 days but more than 5 days before the formally notified last date.
3	55%	In less than 6 days before the formally notified last date.
4	45%	15 days or less after the formally notified last date.
5	0%	More than 15 days after the formally notified last date.

Exclusive of college registration Fee

Note :

1. The last date of admission will be decided by the Director and admission committee in the respective sessions. Fee will be refunded by the college to the eligible student within 15 days from the date of receiving a written application from the student in this regard. The candidate is required to get signature from the Director and collect the refunded fee from the accounts branch of the college.
2. In case a student opts for payment in two installments and after first installment wants to withdraw the fee then the first instalment shall not be refunded.
3. Fee once deposited will not be transferred to any other candidate. No fee exchange policy is permitted.



निदेशक



डॉ. तेजप्रकाश शर्मा
87642 70893

संकाय अध्यक्ष



श्री सोनेश भाटिया
विज्ञान संकाय
94134 79672



डॉ. सरस्वती जोशी
कला संकाय
63502 71225



डॉ. किरण असनानी
वाणिज्य संकाय
92526 14433

वनस्पति विज्ञान विभाग



डॉ. अनिता जैन
विभागाध्यक्ष
94143 58062



डॉ. निशा राजदान
प्रयोगशाला सहायक
99507 72006



डॉ. सुषमा जैन
विभागाध्यक्ष
94604 01830



श्रीमती भावना लौहार
प्रयोगशाला सहायक
63759 07159

रसायन-विज्ञान-विभाग



डॉ. मनीष कुमार रावल
विभागाध्यक्ष
99834 67299



डॉ. सब्बा खान
व्याख्याता
99293 64610



डॉ. दक्षा शर्मा
व्याख्याता
98290 07897



डॉ. अंजु जैन
व्याख्याता
94616 59060



डॉ. रेहाना खानम
व्याख्याता
8302661624



रसायन-विज्ञान विभाग



श्रीमती कुमुद पालीवाल
प्रयोगशाला सहायक
97722 36103



श्रीमती रेखा शर्मा
प्रयोगशाला सहायक
99503 90047

भौतिक विज्ञान विभाग



डॉ. सबा खान
प्रभारी
99293 64610

गणित विभाग



डॉ. बरखा रानी त्रिपाठी
विभागाध्यक्ष
96023 30440

कम्प्यूटर विभाग



श्रीमती चेष्टा शर्मा
विभागाध्यक्ष
99826 53090



डॉ. लक्ष्मण सिंह राजपूत
व्याख्याता
94147 58109



श्री सोनेश भाटिया
व्याख्याता
94134 79672



श्री आनंद भावसार
प्रयोगशाला सहायक
88245 77449

वाणिज्य और प्रबंध संकाय

बैंकिंग एवं व्यवसायिक अर्थशास्त्र विभाग



डॉ. अनुश्री शर्मा
विभागाध्यक्ष
99298 43423



डॉ. हर्षिता भटनागर
विभागाध्यक्ष
92517 60599



डॉ. किरण असनानी
व्याख्याता
92526 14433



डॉ. कविता अजमेरा
विभागाध्यक्ष
92897 56915



डॉ. पिंकी सोनी
व्याख्याता
90018 10977

व्यवसाय प्रशासन विभाग

लेखाशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग

कला संकाय

हिन्दी विभाग



डॉ. सरस्वती जोशी
विभागाध्यक्ष
63502 71225

संस्कृत विभाग



डॉ. अर्चना जैन
विभागाध्यक्ष
92521 96399

इतिहास विभाग



डॉ. समीर व्यास
विभागाध्यक्ष
96602 84314

लोक प्रशासन विभाग



डॉ. रतनलाल सुथार
विभागाध्यक्ष
94607 36154

अर्थशास्त्र विभाग



डॉ. ज्योति कंठालिया
विभागाध्यक्ष
94604 49212



अग्नेजी विभाग



डॉ. सरस्वती जोशी
प्रभारी
63502 71225

ग्रामीण विकास विभाग



डॉ. श्रीराम आर्य
विभागाध्यक्ष
99280 37211

समाजशास्त्र विभाग



डॉ. कंचन पानेरी
विभागाध्यक्ष
98750 55914

भूगोल विभाग



डॉ. विकास बर्या
विभागाध्यक्ष
94603 79174

राजनीति विज्ञान विभाग



डॉ. मनोज राजगुरु
विभागाध्यक्ष
94146 85630

शारीरिक शिक्षा



डॉ. नीरू श्रीमाली
व्याख्याता
94144 71043

पुस्तकालय



श्री नरेश साहू
पुस्तकालयाध्यक्ष
99280 20787

पुस्तकालय



श्री शंकरलाल खटीक
पुस्तकालय सहायक
94148 25594

लेखा शाखा



फातीमा लोहावाला
लेखापाल
99295 93603



भुवनेश्वरी प्रजापत
कोषपाल
63775 91594

विद्यार्थी शाखा



श्री दीपक प्रजापत
कार्यालय अधीक्षक
97829 39252



श्री मोहनलाल कुम्हार
कार्यालय सहायक
97728 01843



श्री ललित मेनारिया
कार्यालय सहायक
99291 12417



श्रीमती सोनाली श्रीमाली
स्टोर कीपर
96607 22796

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्री उमानाथ शर्मा
2. श्री सोहनलाल मेघवाल
3. श्री पंकज कुम्हार
4. श्री तोलीराम गमेती
5. श्री किशनलाल गमेती
6. श्री नारूलाल मेघवाल
7. श्री रामलाल डांगी
8. श्री मुकेश सिंह
9. श्रीमती संतोष हरिजन



खेलकूद



Kick Boxing Winner 2024-25



Hockey Winner Team 2024-25



Table Tennis Match 2024-25



Volleyball Match 2024-25

सह शैक्षणिक गतिविधियां



Educational Trip (Hindi Department)



Plantation (NSS)



Alumni Meet (OSA)



Art & Craft Workshop (IIC)



सांस्कृतिक गतिविधियां





प्रयोगशाला

Zoology Lab



Chemistry Lab



Computer Lab



Physics Lab



Botany Lab



Geography Lab



पुस्तकालय

